भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 213

उत्तर देने की तारीख 21 जुलाई, 2025

सोमवार,30 आषाढ़ 1947(शक)

राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना के अंतर्गत संलग्न प्रशिक्षु

213. श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे:

श्रीमती भारती पारधी:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में संलग्न प्रशिक्षुओं की संख्या क्या है;

(ख) विशेषकर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में आगामी वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य और इसे प्राप्त करने के लिए तैयार की गई कार्यनीति क्या है;

(ग) सरकार अधिक सूक्ष्म,लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई)और छोटे उद्यमों को एनएपीएस के अंतर्गत प्रशिक्षुओं को शामिल करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर रही है ताकि दोनों पक्षों को लाभ मिल सके;

(घ) क्या उनके लिए कोई विशेष प्रोत्साहन या सरल प्रक्रिया उपलब्ध है; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) और (ख) भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना) एनएपीएस (देश भर में शिक्षुता प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक प्रमुख पहल है। अगस्त 2016 में शुरू की गई यह योजना वर्तमान में अपने दूसरे चरण, एनएपीएस-2 के तहत जारी है। एनएपीएस-2 के अंतर्गत, सरकार प्रशिक्षुओं को देय न्यूनतम निर्धारित वजीफे के 25% की सीमा तक आंशिक वजीफा सहायता प्रदान करती है, जो प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रति प्रशिक्षु प्रति माह अधिकतम ₹1,500 तक हो सकती

है। वजीफा सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण) डीबीटी (तंत्र के माध्यम से शिक्षुओं के बैंक खातों में सीधे संवितरित की जाती है। अब तक, पूरे भारत में विभिन्न क्षेत्रों में कुल 8.52 लाख शिक्षु इस योजना के तहत प्रशिक्षण ले रहे हैं । यह योजना "कौशल भारत कार्यक्रम" की समेकित केंद्रीय क्षेत्र योजना के तीन प्रमुख घटकों में से एक योजना है।

(ग) इस योजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2018-19 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 30 जून 2025 तक) तक, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा कुल 16,91,618 शिक्षुओं को शामिल किया गया है, जो कुल नियुक्तियों का 41.45% है। यह इस योजना के अंतर्गत एमएसएमई की पर्याप्त और बढ़ती भागीदारी को दर्शाता है।

(घ) & (ङ) मंत्रालय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और औद्योगिक क्लस्टरों में शिक्षुता को बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य का समर्थन करने के लिए, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के एक तिहाई जिलों में हर महीने के दूसरे सोमवार को आयोजित होने वाला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षुता मेला, एमएसएमई सहित सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों के लिए शिक्षुओं को शामिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करता है। यह देखते हुए कि एमएसएमई अक्सर भौगोलिक रूप से क्लस्टरों में केंद्रित होते हैं, वे शिक्षु अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तदनुसार, राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के तहत एमएसएमई और क्लस्टरों में शिक्षुता के अवसरों के बारे में जागरूकता को सक्रिय रूप से बढ़ावा दें। इस प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय के क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) के अंतर्गत शामिल किए गए 106 क्लस्टरों की सूची - जिनमें से प्रत्येक में एक कार्यशील क्लस्टर सुविधा केंद्र (सीएफ़सी) है- को लक्षित आउटरीच और सहभागिता के लिए राज्यों के साथ साझा किया है ।

*****